रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 119]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2003/श्रावण 3, 1925	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 161
No. 119]	DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2003/SRAVANA 3, 1925	[N.C.T.D. No. 161

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 जुलाई, 2003

फा. सं. 14(5)/एल.ए.-2003/1156.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 13-7-2003 को सहमति प्राप्त हो गई है तथा इसे आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

''औद्योगिक विवाद (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2003 (दिल्ली 2003 का अधिनियम सं. 9)''

(दिनांक 3-4-2003 राष्ट्रीय विधानी क्षेत्र दिल्ली को विधानसभा द्वारा यथापारित)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को राष्ट्रीय विधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू करने के लिए संशोधन करने हेतु अधिनियम

इसे भारतीय गणतंत्र के चौवनवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएगा।

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (1) यह अधिनियम औद्योगिक विवाद (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2003 कहलाएगा।

(2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रभावी होगा जो तारीख राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. **धारा 10 का संशोधन** :—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके लागू होने में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) धारा 10 में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

''(4क) धारा 9ग में तथा इस धारा में निहित किसी बात के अन्यथा होते हुए धारा 2क के अन्तर्गत आने वाले विवाद के मामले में संबंधित व्यक्तिगत कर्मचारी उसे प्राप्त डिस्चार्ज, बर्खास्तगी, छंटनी या निष्कासन के आदेश या औद्योगिक विवाद (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2003 के लागू होने की तारीख से जो भी बाद में हो उस तारीख से उसे प्राप्त पत्र के बारह महीनों के अंदर श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण जैसी भी स्थिति हो, को निर्धारित तरीके से विवाद के समायोजन हेतु आवेदन कर सकता है, तथा श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण जैसी भी स्थिति हो उसी तरीके से आवेदन का निपटान करेगा जैसा उपधारा (1) में उल्लिखित विवाद के निपटान में हो।''

पी. एस. परमार, उप सचिव

LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th July, 2003

F. No. 14(5)/LA-2003/1156.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 13-7-2003 and is hereby published for general information.

"The Industrial Disputes (Delhi Amendment) Act, 2003 (Delhi Act No. 9 of 2003)".

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 3-4-2003)

An Act to amend the Industrial Disputes Act, 1947 in its application to the National Capital Territory of Delhi.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Industrial Disputes (Delhi Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. **Amendment of Section 10.**—In Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), in its application to the National Capital Territory of Delhi, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(4A) Notwithstanding anything contained in Section 9C and in this section, in the case of a dispute falling within the scope of Section 2A, the individual workman concerned may, within twelve months from the date of communication to him of the order of discharge, dismissal, retrenchment or termination or the date of commencement of the Industrial Disputes (Delhi Amendment) Act, 2003, whichever, is later, apply in the prescribed manner, to the Labour Court or the Tribunal, as the case may be, for adjudication of the dispute and the Labour Court or Tribunal, as the case may be, shall dispose of such application in the same manner as a dispute referred under sub-section (1)."

P. S. PARMAR, Dy. Secy.

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 जुलाई, 2003

फा. सं. 81(11)/डीएसडब्ल्यू/डीओ-3/2002/6931.—निशक्तताओं सहित व्यक्ति (बराबर अवसर अधिकारों की सुरक्षा एवम् पूर्व भागीदारी) अधिनियम, 1995 (केन्द्रीय अधिनियम 1996 का 1) की धारा 13 और धारा 19 एवम् गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या यू-11030/3/96-यू.एल.टी. दिनांक 5 दिसंबर 1997 के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, कथित अधिनियम के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने एवम् संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कार्य निष्पादन के लिए राज्य समन्वय समिति और राज्य कार्यकारिणी समिति की अधिसूचना जारी होने की तिथि से गठन करते हैं।

राज्य समन्वय समिति

1.	मंत्री, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	—अध्यक्ष
2.	श्री तरविन्दर सिंह मारवाह, विधायक जे-2, जंगपुरा, नई दिल्ली-110014	—सदस्य
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार, विधायक 795, गावं एवम् डाकखाना बवाना	—सदस्य
4.	श्री रविन्द्रनाथ बंसल, विधायक एई-36, शालीमार बाग, दिल्ली-2	—सदस्य
5.	निदेशक, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	—सदस्य

6. सचिव (सेवाएं) —सदस्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

7. सचिव (प्रशिक्षण) —सदस्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

8. सचिव (स्वास्थ्य) —सदस्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

9. विकास आयुक्त —सदस्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

10. सचिव (उद्योग) —सदस्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

11. सचिव (शहरी विकास) —सदस्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

12. अतिरिक्त सचिव (वित्त) —सदस्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

13. श्री दीपक प्रसाद सहाय —सदस्य
आल इंडिया फेडरेशन ऑफ डैफ
18-नार्थ एंड काम्पलैक्स,
आर.के. पुरम मार्ग, नई दिल्ली

14. श्रीमती यशोराज्य लक्ष्मी —सदस्य
प्रेजीडेंट
दिल्ली सोसायटी फॉर दा वैल्फेयर ऑफ
मेंटली रिटार्टिड चिल्ड्रन,
ओखला सैंटर, ओखला मार्ग, नई दिल्ली

15. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधित्व —सदस्य
के लिए धारा 13(2)(एफ) के अंतर्गत रिक्त

16. श्री अश्वनी अग्रवाल, निदेशक —सदस्य
नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाईंड
आर.के. पुरम, सेक्टर-5, नई दिल्ली

17. सुश्री मिनी शर्मा —सदस्य
उप-प्रधानाचार्य
अमर ज्योति स्कूल, कड़कड़डुमा,
दिल्ली

18. श्रीमती चन्द्रा सिंह —सदस्य
कान्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज,
प्लाट सं० : 249 एफ, सेक्टर-18
उद्योग विहार, फेस-4, गुड़गांव-122015

19. श्रीमती तीव्रा शर्मा —सदस्य
एक्जीक्यूटिव आफिसर पीएचडी
रूरल डवेलपमेंट फांउडेशन
पीएचडी होम ओपोसिट एशियन विलेज,
नई दिल्ली-16

20. आयुक्त (निशक्त:ता) —सदस्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

21. प्रधान सचिव (समाज कल्याण) —सदस्य-सचिव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

राज्य कार्यपालक समिति

1.	प्रधान सचिव (समाज कल्याण) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	—अध्यक्ष
2.	राज्य स्तरीय आयुक्त, निशक्त:ता	—सदस्य
3.	निदेशक (समाज कल्याण) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	—सदस्य
4.	अतिरिक्त सचिव (स्वास्थ्य) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	—सदस्य
5.	अतिरिक्त सचिव (वित्त) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	—सदस्य
6.	उप-विकास आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	—सदस्य
7.	अतिरिक्त निदेशक (शिक्षा) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	—सदस्य
8.	संयुक्त सचिव (सेवाएं) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	—सदस्य
9.	संयुक्त आयुक्त (श्रम) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	—सदस्य
10.	संयुक्त निदेशक (रोजगार) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	—सदस्य
11.	अतिरिक्त सचिव /संयुक्त सचिव (शहरी विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	—सदस्य
12.	डॉ० मधुर भंडारी आक्यूपेशनल थेरिपिस्ट, अक्षय प्रतिष्ठान डी-3,, वसंत कुंज, नई दिल्ली-70	—सदस्य
13.	डा० आमीया बैनर्जी वीआईएमएचएएनएस	—सदस्य
14.	श्री दीपक प्रसाद सहाय आल इंडिया फेडरेशन ऑफ दी डैफ 18-नार्थ एंड काम्पलैक्स, आर.के.पुरम मार्ग, नई दिल्ली	—सदस्य
15.	श्रीमती यशोराज्यलक्ष्मी, अध्यक्ष दिल्ली सोसायटी फार दी वेल्फेयर ऑफ मेंटली रिटार्टिड चिल्डर्न, ओखला सेंटर, ओखला मार्ग, नई दिल्ली	—सदस्य
16.	अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए धारा 19(2)(ई) के अंतर्गत रिक्त	—सदस्य
17.	श्री अश्वनी अग्रवाल, निदेशक नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लांईड आर.के. पुरम, सेक्टर-5, नई दिल्ली	—सदस्य

18.	सुश्री मिनी शर्मा, उप-प्रधानाचार्य अमर ज्योति स्कूल, कड़कड़डूमा, दिल्ली।	—सदस्य
19.	अतिरिक्त निदेशक (समाज कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।	—सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के नाम पर तथा उनके आदेश से,
के. जे.आर. बर्मन, अतिरिक्त निदेशक

SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th July, 2003

No. F. 81(11)/DSW/DOIII/2002/6931.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 and sub-section (1) of Section 19 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996) read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. U-11030/3/96-UTL dated 5th December, 1997, the Lt. Governor of the National Territory of Delhi, hereby constitute the State Co-ordinate Committee and State Executive Committee, to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to them, under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

STATE CO-ORDINATION COMMITTEE

1.	Hon'ble Minister, Social Welfare, Govt. of NCT of Delhi	— Chairperson
2.	Sh. Tarvinder Singh Marwah, MLA, J-2, Jangpura, New Delhi-110014	— Member
3.	Sh. Surender Kumar, MLA 795, Vill. and P.O. Bawana	— Member
4.	Sh. Ravinder Nath Bansal, MLA AE-36, Shalimar Bagh, Delhi-110 032	— Member
5.	Secretary, Deptt. of Education, Govt. of NCT of Delhi	— Member
6.	Secretary (Services), Govt. of NCT of Delhi	— Member
7.	Secretary (Training) Govt. of NCT of Delhi	— Member
8.	Secretary (Health), Govt. of NCT of Delhi	— Member
9.	Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi.	— Member
10.	Secretary (Industries), Govt. of NCT of Delhi	— Member
11.	Secretary (Urban Development), Govt. of NCT of Delhi	— Member
12.	Addl. Secy. (Finance), Govt. of NCT of Delhi	— Member
13.	Sh. Deepak Prasad Sahay, All India Federation of the Deaf, 18-North End Complex, R.K. Puram Marg, New Delhi.	— Member

14.	Smt. Yashorajya Laxmi, President, Delhi Society for the Welfare of Mentally Retarded Children, Okhla Centre, Okhla Marg, New Delhi.	— Member
15.	Vacant for SC/ST representative of NGO under Sec. 13(2)(f)	— Member
16.	Sh. Ashwani Aggarwal, Director National Association for Blind, R.K. Puram, Sec-V, New Delhi.	— Member
17.	Ms. Mini Sharma Vice Principal, Amar Jyoti School, Karkardooma, Delhi.	— Member
18.	Mrs. Chandra Singh, Confederation of Indian Industry, Plot No. 249F, Sec-18, Udyog Vihar, Phase IV, Gurgaon-122015	— Member
19.	Mrs. Teevra Sharma, Executive Officer PHD, Rural Development Foundation, PHD Home Opp. Asian Vill., New Delhi-16	— Member
20.	Commissioner (Disabilities) Govt. of NCT of Delhi.	— Member
21.	Pr. Secretary (Social Welfare), Govt. of NCT of Delhi.	— Member Secretary

STATE EXECUTIVE COMMITTEE

1.	Pr. Secretary (Social Welfare), Govt. of NCT of Delhi.	— Chairperson
2.	State Commissioner, Disabilities	— Member
3.	Director (Social Welfare), Govt. of NCT of Delhi	— Member
4.	Addl. Secretary (Health), Govt. of NCT of Delhi	— Member
5.	Addl. Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi.	— Member
6.	Dy. Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi.	— Member
7.	Addl. Director (Education), Govt. of NCT of Delhi.	— Member
8.	Jt. Secretary (Services), Govt. of NCT of Delhi.	— Member
9.	Jt. Commissioner (Labour), Govt. of NCT of Delhi	— Member
10.	Jt. Director (Employment), Govt. of NCT of Delhi.	— Member
11.	Addl. Secy/Jt. Secy. (Urban Deve.) Govt. of NCT of Delhi.	— Member
12.	Dr. Madhur Bhandari Occupational Therapist Akshay Pratishthan, D-3, Vasant Kunj, New Delhi-110 070	— Member
13.	Dr. Amiya Banerjee VIMHANS	— Member

14.	Sh. Deepak Prasad Sahay All India Federation of the Deaf 18-North End Complex, R. K. Puram Marg, New Delhi.	—	Member
15.	Smt. Yashorajya Laxmi, President, Delhi Society for the Welfare of Mentally retarded Children, Okhla Centre, Okhla Marg, New Delhi.	—	Member
16.	Vacant for SC/ST representative of under Aec. 19(2)(e)	—	Member
17.	Sh. Ashwani Aggarwal, Director, National Association for Blind, R. K. Puram, Sec.-V, New Delhi.	—	Member
18.	Ms. Mini Sharma, Vice Principal, Amar Jyoti School, Karkardooma, Delhi.	—	Member
19.	Addl. Director (Social Welfare) Govt. of NCT of Delhi.	—	Member Secretary

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

K. J. R. BURMAN, Addl. Director

भूमि व भवन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 जुलाई, 2003

सं० एफ. 11(60)/2000/भू.व भ./भू.अ./6971.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर नरेला परियोजना हेतु दिल्ली के योजनाबद्ध विकास के अन्तर्गत सरकार द्वारा भूमि प्राप्त किया जाना है। अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना संभावित है।

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है।

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों और कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे इलाके में किसी भी भूमि के अर्जन में कोई आपत्ति है, अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों में दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (उत्तर-पश्चिम) के समक्ष अपनी आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (उत्तर-पश्चिम) के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र बीघा—बिस्वा	खसरा नं.	कुल क्षेत्र बीघा—बिस्वा
नरेला	10-10	50/1 मिन	2-06
		51/4	3-08
		51/5	4-16

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा नाम पर

एच.डी. माही, उप-सचिव (भू.अ.)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th July, 2003

No. F. 11(60)/2000/L&B/LA/6971.—Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that land is likely to be required to be taken by Government at public expense for a public purpose namely for Narela Project under Planned Development of Delhi. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

The notification is made, under the provisions of sub-section 1 of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may cocern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid Section, the Lt. Governor, Delhi is please to authorize the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person, interested, who has any objection to the acquisition of any land in the locality, may within 30 days of the publication of the notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector (North-West), Delhi.

Map showing the boundaries of land covered by the notification is available for inspection in the office of the Land Acquisition Collector (North-West).

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha-Biswa	Khasra No.	Area (Bigha-Biswa)
Narela	10-10	50/1min.	2-06
		51/4	3-08
		51/5	4-16

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of Delhi

H. D. MAHI, Dy. Secy. (LA)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Publisbed by the Controller of Publications, Delhi-110054.